विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–02/2026
पंजीकरण तिथि–03.01.2026
निर्णय तिथि–12.03.2026

अर्चना काला परिवादी
कहलक्वीरा
रामगढ़ रोड़, भवाली
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैंने 3 अक्टूबर, 2024 को एक कॉटेज किराए पर लिया था और बिजली के बिल नियमित रूप से बिना किसी देरी के भरे जा रहे थे, जो 1600 रुपये से 2500 रुपये के बीच थे। हालांकि, मीटर रीडर ने मुझे बताया कि मेरा मीटर तेजी से चल रहा है और शायद खराब है, और इसे बदलवाने का सुझाव दिया तो मेरे द्वारा 1912 पर संपर्क किया गया तथा अवगत कराया गया जिस हेतु जब पर्ची कटवाने के लिये विभाग कार्यालय पहुचे तो वहां अवकाश के कारण कार्यालय बंद था जिस कारण उक्त शिकायत हेतु प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। महोदय पुराने मीटर की 27 अक्टूबर 2025 की रीडिंग 3388 थी लेकिन उसके 10 दिन बाद 6 नवम्बर 2025 को मीटर उतारा गया तो उस मीटर की रीडिंग 4352 हो चुकी थी महोदय 10 दिन में उक्त रीडिंग अनुसार 1014 यूनिट का प्रयोग होना संभव नहीं है तथा यह आश्चर्यजनक भी है। महोदय इस कारण से पिछला विद्युत् बिल 9324 रूपये का हमें प्राप्त हुआ है जो कि विचारनीय है।

अतः महोदय आपसे विनम्र निवेदन तथा पूरी आशा है की आप हमारे पुराने मीटर की सील तोड़ कर जांच करने तथा मीटर खराब था या सही कार्य कर रहा था इसकी सूचना देने की कृपा करेंगे।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.01.2026 में कहा गया है कि मामले की स्पष्ट जाँच हेतु एम०आर०आई० रिपोर्ट की आवश्यकता है जिसके क्रम में सहायक अभियन्ता (मापक)को पत्र प्रेषित कर एम०आर०आई० रिपोर्ट चाही गयी है। एम०आर०आई० रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त प्रकरण में स्पष्ट आख्या प्रेषित की जा सकती है।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.01.2026 में कहा गया है कि प्रकरण में पुराने मीटर संख्या 2987802 की एम०आर०आई० रिपोर्ट की आवश्यकता होने के कारण सहायक अभियन्ता (मापक) भवाली को पत्र संख्या 19 दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है परन्तु आज दिनांक तक भी एम०आर०आई० रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी है। एम०आर०आई० रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) भवाली को दूरभाष एवं व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई बार अवगत कराया गया है परन्तु कोई प्रति–उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सहायक अभियन्ता (मापक) भवाली द्वारा एम०आर०आई० रिपोर्ट समय पर न दिये जाने के कारण खण्ड/उपखण्ड स्तर से स्पष्ट आख्या प्रेषित नहीं की जा सकी है। उक्त प्रकरण में मंच का अनुरोध है कि फोरम कार्यालय स्तर से भी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, हल्द्वानी/ सहायक अभियन्ता (मापक) भवाली को भी अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। माननीय मंच को अवगत कराना है कि उक्त मापक वि०वि० अनुभाग मण्डार ग्रह भवाली में ही विद्यमान है।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 09.03.2026 को अपनी आख्या में कहा गया कि उपभोक्ता के मापक संख्या यू 978702 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट करा ली गयी है प्राप्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर ससमय जा कर रीडिंग नहीं ली जा रही थी। मीटर रीडर द्वारा ससमय रीडिंग न लिये जाने के कारण उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग के बिल प्राप्त नहीं हो पाये। उपभोक्ता का विगत 01 वर्ष का उपभोग/खपत 4352 यूनिट है जिस कारण बिल के संशोधन करने पर भी टैरिफ उच्च स्लैब में जा रहा है। जिसमें बिल की धनराशि में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो पा रहा है। उक्त तथ्यों के आधार पर उपभोक्ता को दिये गये विद्युत बिल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पा रहा है। अतः मा० मंच को सूचनार्थ एवं उचित दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक 11.03.2026 को मंच में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा पूर्व में ही एम0आर0आई0 रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या प्रस्तुत की जा चुकी थी। आख्या की प्रति परिवादी को भी भेजी गई थी। मंच ने पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं MRI रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी के पुराने मीटर में दर्ज वास्तविक रीडिंग पर ही बिल बना है हालांकि मीटर रीडर द्वारा अलग–अलग बिल चक्रों में वास्तविक रीडिंग नहीं ली गई जिससे मीटर बदलते समय परिवादी को 10 दिन में 1014 यूनिट दर्शित होने से बिल बढ़ने की आशंका हुई। विपक्षी उपखंड अधिकारी ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि परिवादी की खपत को पूर्व के एक वर्ष की अवधि हेतु औसत आधार पर विभाजित करते हुए बिल को संशोधित करने का

प्रयास किया गया। परंतु उससे भी टैरिफ स्लैप से बिल की जो गणना हो रही है उसमें बिल की धनराशि में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच से परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। विपक्षी के मीटर रीडर ने रीडिंग लेने में लापरवाही की है जिसके लिए विपक्षी से अपेक्षा कि जाती है कि मीटर रीडर के खिलाफ भविष्य के लिए चेतावनी जारी करें। बिल में किसी भी प्रकार के संशोधन की गुजाईश नहीं है क्योंकि वह पूर्व मीटर की वास्तविक खपत पर ही बना है। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वय वंहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—12.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—12.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज माटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–13/2026
पंजीकरण तिथि–30.01.2026
निर्णय तिथि–10.03.2026

दया किशन
पुत्र स्व0 शकंर राम
पता–बागजाला गौलापार
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिजली खाता संख्या–42100830978 है। और मेरे घर का विद्युत मीटर डोमेस्टिक है, लेकिन 13 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 की मीटर रीडिंग व्यावसायिक मीटर की आ गई है। मैंने कई बार मीटर रीडर से बात की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कृपया समस्या का समाधान करें और मेरे मीटर की रीडिंग को डोमेस्टिक मीटर के अनुसार सुधारने की कृपा कीजिएगा।

2. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 06.02.2025 में कहा गया है कि आर0ए0पी0डी0 आर0पी0 सिस्टम में उपभोक्ता की श्रेणी Mix Category इंगित है, जिसके अनुसार 200 यूनिट के अंतर्गत विद्युत खपत पर घरेलू श्रेणी की दर से आगणित एवं 200 से अधिक खपत पर वाणिज्यिक श्रेणी की दर से आगणित होता है। उपभोक्ता के बिलों के अवलोकन करने पर ज्ञातत्व है कि उनके प्रश्नगत बिल से पूर्व के बिलों की दर घरेलू श्रेणी (RTS-1) से आगणित है, जबकि बिल माह 01/2026 (13.12.2025 से 11.01.2026) तक मिश्रित श्रेणी (RTS-1) जिसमें खपत 200 यूनिट से अधिक होने पर प्रति यूनिट 7.75/ से आगणित हुआ है, अतएवं माह 01/2026 का बिल अपेक्षाकृत अधिक राशि का निर्मित है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर/आपत्ति पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा जो उत्तर दिया गया है की आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम में उपभोक्ता की श्रेणी मिश्रित श्रेणी में अंकित है। जिसके अनुसार 200 यूनिट के अंतर्गत विद्युत खपत दर पर घरेलू श्रेणी की दर से आगणित होता है। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरा सामान्य घरेलू

संयोजन है विभाग द्वारा जो उत्तर पत्र/बिल प्रेषित किए गए हैं उससे मैं असंतुष्ट हूं। महोदय आपको यह अवगत कराना है कि मेरा कोई Mix Category का संयोजन नहीं है। मेरे पूर्व बिलिंग का अवलोकन किया जाय। अतः महोदय से निवेदन है कि विभाग को निर्देशित कर मेरा बिल संशोधन कराया जाये। आपकी अति कृपा होगी।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 21.02.2026 में पूर्व में प्रेषित उत्तर पत्र (दिनांक 06.02.2026) के कथनों की पुनावृत्ति करते हुये कहा गया है कि आर0ए0पी0डी0 आर0पी0 सिस्टम में उपभोक्ता की श्रेणी Mix Category इंगित है, जिसके अनुसार 200 यूनिट के अंतर्गत विद्युत खपत पर घरेलू श्रेणी की दर से आगणित एवं 200 से अधिक खपत पर वाणिज्यिक श्रेणी की दर से आगणित होता है। उपभोक्ता के बिलों के अवलोकन करने पर ज्ञातत्व है कि उनके प्रश्नगत बिल से पूर्व के बिलों की दर घरेलू श्रेणी (RTS-1) से आगणित है, जबकि बिल माह 01/2026 (13.12.2025 से 11.01.2026) तक मिश्रित श्रेणी (RTS-1) जिसमें खपत 200 यूनिट से अधिक होने पर प्रति यूनिट 7.75/ से आगणित हुआ है, अतएवं माह 01/2026 का बिल अपेक्षाकृत अधिक राशि का निर्मित है।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये।

   सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने अपने घर के लिए घरेलू विद्युत कनैक्शन लिया था तथा जिसमें कोई दुकान नहीं है, इस प्रकार मिक्स लोड का बिल कैसे दिया जा सकता है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि तत्कालीन समय में संयोजन से पूर्व जे0ई0 की जांच आख्या व परिवादी के आवेदन पत्र के आधार पर ही संयोजन अवमुक्त हुआ होगा।

   उक्त सुनवाई के क्रम में मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि दिनांक 09.03.2026 तक परिवादी द्वारा प्रस्तुत संयोजन आवेदन पत्र की प्रति एवं परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर स्पष्ट आख्या मंच में प्रस्तुत करे।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 09.03.2026 में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी द्वारा अवर अभियंता के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण करवाया गया जिसमें उपभोक्ता के परिसर पर वर्तमान में घरेलू संयोजन पाया गया है।
7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।
8. विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत श्रेणी के संबंध में कोई भी प्रमाण यथा विद्युत संयोजन आवेदन पत्र, अवर अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट आदि कुछ भी अभिलेख मंच में प्रस्तुत नहीं किए गये। हालांकि मंच के निर्देश पर विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर का निरीक्षण कराकर प्रस्तुत आख्या में स्वीकार किया है कि परिवादी का घरेलू संयोजन पाया गया है। अतः परिवादी के संयोजन की श्रेणी को मिक्स केटेगरी से हटाकर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करना तथा बिल दिनांकित 13.12.2025 से 11.01.2026 को घरेलू श्रेणी में निर्मित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के विद्युत संयोजन की श्रेणी को घरेलू में परिवर्तित कर तथा बिल दिनांकित 13.12.2025 से 11.01.2026 को घरेलू श्रेणी की दरों के हिसाब से संशोधित करें। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के

मीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–10.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–10.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–17/2026
पंजीकरण तिथि–05.02.2026
निर्णय तिथि–24.03.2026

दीपा रूवाली
पत्नी जीवन चन्द्र
हल्दीखाल, निकट गौधाम
वार्ड नं0–37, हल्द्वानी
काठगोदाम
जिला–नैनीताल। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिनी दीपा रुवाली पत्नी श्री जीवन चन्द्र, हल्दीखाल निकट गौधाम वार्ड नं0–37 हल्द्वानी काठगोदाम के घर में दिनाँक 22.01.2026 को समय लगभग 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से घर का फ्रीज, किचन का सारा सामान, मिक्सी, घर की वायरिंग, पंखे, इनवर्टर आदि सामान नष्ट हो गया है। प्रार्थिनी विद्युत विभाग की विगत कई वर्षों से नियमित उपभोक्ता है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी को क्षतिपूर्ति हेतु उचित मुआवजा दिया जाए। हमने विभाग को सूचित कर दिया है। आपकी अति कृपा होगी।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 16.02.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–392E2241378) द्वारा अपनी शिकायत में अपने घर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कहा गया है। जिस सम्बन्ध में उपखंड अधिकारी कमलुवागांजा द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी जाँच आख्या में बताया गया है कि परिसर में लगे मापक से पूर्व पोल तक सर्विस केबल पूरी तरह से ठीक पाई गयी है मापक से आगे की विद्युत सप्लाई में किसी तकनीकी खराबी के कारण यह हानि हुई है।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा पुनः प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 17.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–392E2241378) द्वारा अपनी शिकायत में अपने घर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कहा गया है। जिस संबंध में उपखंड अधिकारी कमलवागांजा द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी जांच आख्या में बताया गया

है कि परिसर में विद्युत मापक से पूर्व के [illegible] जली नहीं पाई गई है, मापक के बाद शॉर्ट सर्किट होना पाया गया है। जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को पत्रांक संख्या–1202 दिनांक 17.03.2026 से दी गई है। माननीय मंच से निवेदन है कि उक्त वाद को निरस्त करने की कृपा करें।

4. दिनांक 24.03.2026 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गई। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। उपखंड अधिकारी द्वारा कहा गया कि जांच में मापक के बाद शॉर्ट सर्किट होना पाया गया। साथ ही उस क्षेत्र के किसी अन्य उपभोक्ता ने उक्त तिथि पर उपकरणों को हुए नुकसान के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अतः शिकायत को खारिज किया जाए।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने **UERC(Standards of Performance)Regulation, 2022** के अध्याय **SCHEDULE – III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)** के बिंदु 3(5) का अवलोकन किया जो कि निम्नवत है:–

> **"Damage to consumer's apparatus due to voltage fluctuations [If apparatus of more than one consumer in close neighbourhood are affected and subject to physical verification of the damaged apparatus by the Licensee within 72 hours followed by submission of documentary evidence by affected consumer with regard to expenses incurred on repair* charges and its verification by the Licensee.] *In case of replacement or exchange of any damaged apparatus/equipment with new one the compensation shall be limited to the extent of repair charges mentioned in this clause subject to the production of original bill and its verification by the Licensee."**

प्रस्तुत प्रकरण में ना तो किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार की [illegible] की गई है और ना ही परिवादी के परिसर के निरीक्षण में ऐसा कुछ पाया गया जिससे परिवादी क्षतिपूर्ति पाने का हकदार हो। अतः उक्त विनियम के आलोक में वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प[illegible]वादी की वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन क[illegible]गें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–24/03/2026

24/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

24/03/26
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में [illegible] हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–24/03/2026

24/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

24/03/26
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–18/2026
पंजीकरण तिथि–05.02.2026
निर्णय तिथि–23.03.2026

राज़दा परिवादी
पत्नी स्व0 जुल्फीकार
लाइन नं0–02,थाना–वनभुलपूरा
आजाद नगर, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा कनैक्शन संख्या–381ETGA5121642, खाता सं0–40219421453 जो कि जुल्फीकार पुत्र मोहम्मद यासीन, लाइन नं0–02, हल्द्वानी, थाना–वनभुलपूरा, आजादनगर, हल्द्वानी के नाम से है। महोदय विद्युत विभाग की मैं एक पुरानी उपभोक्ता हूं व हमेशा समय से अपना बिल जमा करती रही हूं। आपको अवगत कराना है कि पूर्व में मेरे विद्युत बिल सही आते थे जिसका भुगतान में करती आ रही थी। परन्तु जब में अक्टूबर 2025 में अपना बिल जमा करने विभाग के कार्यालय में गयी तो मुझे मेरा विद्युत बिल रू0 32600.00 का बताया गया और कहा गया कि आपको ये जमा करना है। मेरे द्वारा विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से जब इस बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा की आपका बिल ठीक कर दिया जायेगा। और मुझे विभाग के चक्कर लगवाते रहे आज ये हाल है कि मेरा विद्युत बिल रू0 44103.00 का बिल थमा दिया गया जो कि बहुत अधिक है। मुझसे यह कहा गया कि आपका 15 माह से बिल RDF में आ रहा है जो आपको जमा करना है। महोदय मैं कई विभाग के चक्कर लगा चुका हूँ परन्तु हर बार यही कहा जाता है कि अगली बार ठीक कर दिया जायेगा। परन्तु ना तो मुझे बिल सही करके दिया जाता है और न ही मुझे सही जानकारी दी जाती है। महोदय मैं नियमित रूप से अपना बिल जमा करते आ रही हूं फिर मुझे इतना अधिक बिल क्यों दिया जा रहा है। मैं एक गरीब विधवा महिला

हूं जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालन–पोषण कर रही हूं और उनको पढ़ा रही हुं। इतना अधिक बिल जमा करना मेरे सामर्थ में नहीं है। मुझे किसी व्यक्ति द्वारा सलाह दी गयी की विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊं क्षेत्र, हल्द्वानी में जाये आपको वहां न्याय मिलेगा। अतः मैं बड़ी आस से फोरम में आयी हूं। महोदय से निवेदन है कि मेरा बिल सही करवा कर मुझे न्याय दिलाये। ताकि मैं समय से अपना बिल भर सकूं।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 11.02.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता के 09.10.2023 से 15.07.2025 तक RDF आधारित बिल निर्मित हैं एवं दिनांक 17.08.2025 को वास्तविक रीडिंग 8891 का बिल जो (8891–671= 8220 Unit) का बिल निर्मित है, जिसमें वर्तमान में LPS की राशि रू० (–)5254.00 समायोजित किया गया है। लेजर एंव बिलिंग हिस्ट्री की प्रति संलग्न है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलखों का परिशीलन किया गया।

   उक्त सुनवाई के क्रम में विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवादी के वर्तमान मीटर की स्थापना दिनांक 05.01.2023 से वर्तमान तक का बीजक मीटर की वर्तमान रीडिंग को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए व समय–समय पर लागू टैरिफ दरों की स्लैब के आधार पर संशोधित करें जिसमें उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा धनराशि का समायोजन करते हुए अपनी आख्या मंच में प्रस्तुत करे। साथ ही यह निर्देशित किया गया कि उक्त संशोधित बीजक में कोई सरचार्ज देय नहीं होगा।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 11.03.2026 में कहा गया है कि मंच के कार्यालय पत्र दिनांक 24.02.2026 के क्रम में उपभोक्ता के बीजक की गणना मापक स्थापना दिनांक 05.01.2023 से वर्तमान तिथि तक वर्तमान रीडिंग को मासिक औसत आधार पर करते हुए लागू टैरिफ दरों की स्लैब के आधार पर गणना कर, गणना शीट संलग्न कर प्रेषित है, जिसके अनुसार उपभोक्ता के जमा बिलों का समायोजन करने के उपरान्त अवशेष रू० 45137.00 है।
5. दिनांक 11.03.2026 को विभागीय प्रतिनिधि ने मंच के समक्ष उपस्थित होकर उत्तर पत्र मय संशोधित बीजक प्रस्तुत किया। मंच द्वारा बीजक का अवलोकन किया गया जिसमें मापक की रीडिंग (कुल खपत)12775, दिनांक 16.02.2026 तक दिखाई गयी है जबकि मीटर में इस तिथि को रीडिंग 10553 मात्र है। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वास्तविक मीटर रीडिंग का औसत लेते हुये उचित टैरिफ स्लैब (समय–समय पर लागू दर सूची) पर संशोधित करे।
6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.03.2026 में कहा गया है कि मंच के पत्रांक–207 दिनांक 13.03.2026 के क्रम में उपभोक्ता के बीजक की गणना मापक स्थापना दिनांक 05.01.2023 से वर्तमान तिथि तक वर्तमान रीडिंग 10553 को मासिक औसत आधार पर करते हुए लागू टैरिफ दरों की स्लैब के आधार पर गणना कर, गणना शीट संलग्न कर प्रेषित है, जिसके अनुसार उपभोक्ता के जमा बिलों का समायोजन करने के उपरान्त अवशेष रू0 31230.00 है।
7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक RDF के बीजक दिए

गए। अगस्त 2025 में मीटर की वास्तविक रीडिंग ली गई तो बिल की धनराशि अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। परिवादी के परिसर पर वर्तमान में भी वही मीटर स्थापित है तथा सही ढंग से कार्य कर रहा है। लगभग 2 वर्ष तक वास्तविक मीटर रीडिंग की बजाय RDF के बिल बनाए जाने से परिवादी को वास्तविक खपत से कम खपत के बिल जारी होते रहे, जिसका एकमुश्त भार अगस्त 2025 में वास्तविक रीडिंग पर बिल जारी होने के कारण परिवादी पर पड़ा। मंच ने परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं मीटर की MRI रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विपक्षी को वर्तमान में मीटर की स्थापना से दिनांक 16.02.2026 तक हुई वास्तविक खपत को मासिक औसत आधार पर बिल जारी करते हुए समय-समय पर लागू उचित टैरिफ स्लैब से निर्मित कर उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई धनराशि को समायोजित कर संशोधित बीजक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विपक्षी ने मंच के आदेश पर संशोधित बीजक गणना शीट प्रस्तुत की, जिसका मंच द्वारा अवलोकन किया गया। गणना शीट के अनुसार अब ₹ 31320.00 की देयता शेष है। परिवादी ने सुनवाई के समय अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि विपक्षी की गलती के कारण उस पर एकमुश्त भार पड़ा है। अतः समस्त धनराशि एकमुश्त जमा करने में वह असमर्थ है। मंच के मत में परिवादी के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बकाया धनराशि तीन समान किश्तों में भुगतान की सुविधा विभागीय नियमानुसार दिया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की बीजक संबंधी समस्या का समाधान कर दिया गया है। परिवादी पर अत्यधिक बीजक का एकमुश्त भार डाले जाने के लिए परिवादी का कोई दोष नहीं है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी से बकाया धनराशि तीन समान किश्तों में लिया जाना स्वीकार करे। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में घोषित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः-23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–25/2026
पंजीकरण तिथि–19.02.2026
निर्णय तिथि–23.03.2026

जयदीप लखेड़ा
आवास संख्या–2/14
न्यू आवासीय कालौनी
ओक पार्क, मल्लीताल
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 19.02.2026 में कहा गया है कि " **i had given a grievance to Sub Division Officer, Electricity Distribution Division Mallital, Nainital office on 31 December 2025 regarding correction in my Father's name but till today no reply was given by them even the concern employee did not give me any receiving for my application. He took only single copy of grievance letter. which is annexed herewith for your kind perusal. Please take necessary action on my application and also take some disciplinary action against concern employee.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 27.02.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार नया विद्युत संयोजन को लेने के लिये उपभोक्ता ने अपने आवेदन पत्र में पिता का नाम श्री एम०एम०लखेड़ा अंकित किया गया है तथा पहचान पत्र के रुप में ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति संलग्न की गयी है। संलग्न की गयी ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति में भी उपभोक्ता के पिता का नाम एम0एम0लखेड़ा (M.M. Lakhera) अंकित है। उपभोक्ता को विद्युत बिल में नाम संशोधन करने हेतु सही नाम के पहचान पत्र की प्रति एवं नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है। उपरोक्त चाहे गये प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उपभोक्ता के नाम परिवर्तन से सम्बन्धित शिकायत का निवारण किया जा सकता है।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 23.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में पिता का नाम संशोधित कर दिया गया है।
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 23.03.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की नाम संशोधन संबंधी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। संशोधन के उपरांत परिवादी के पिता का नाम एम0एम0 लखेड़ा कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं परिवादी के विद्युत संयोजन के आवेदन पत्र में पिता का नाम एम0एम0 लखेड़ा अंकित है तथा उसी आधार पर विपक्षी द्वारा संशोधन भी किया जा चुका है। अतः वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number : 30/2026

Shri/Smt....Ekta Agarwal............**Vs** **Exeutive Engineer**....नैनीताल.....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
(signature) (signature)	11/03/2026	**निर्णय** पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी की ओर से उनके प्रतिनिधि गोविन्द सिंह फत्र्याल उपस्थित। विपक्षी की ओर से OA द्वितीय उपस्थित। विपक्षी द्वारा बताया गया कि संयोजन आवेदन में अभी भी परिवादी ने पूरे कागज नहीं लगाये हैं, परिवादी से दूरभाष पर बात करने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सी०जी०आर०एफ० में कोई वाद दायर नहीं किया गया है, परिवादी के नाम से संयोजन हेतु आवेदन जमा करने एवं सी०जी०आर०एफ० में वाद दायर करने वाला व्यक्ति, जो अपने को परिवादी का प्रतिनिधि बता रहा है वह नैनीताल खण्ड के अंतर्गत ही उपनल के माध्यम से कार्ययोजित संविदा कर्मी है। परिवादी ने अपने संयोजन के संबंध में खण्ड कार्यालय में ना उपस्थिति दी और ना ही कागज पूरे जमा किये, जिस कारण उनका Online आवेदन भी reject हो चुका है।	निस्तारित

क्रमशः____

(signature) (signature) (signature)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 30/2026

Shri/Smt. Ekta Agarwal **V/S** **Executive Engineer..** Nainital

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
		उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात मंच इस मत का है कि निवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र जमा करने बिना मंच में वाद दायर किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिवादी वांछित प्रपत्र जमा करे और रजिस्ट्रेशन पश्चात विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी करे। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।	निस्तारित
		आदेश।	
		परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी इसके खिलाफ विद्युत लोकपाल, 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	खारिज

11/03/2026
हिमांशु बहुगुणा
(सदस्य उपभोक्ता)

तिलक राज भाटिया
(सदस्य तकनीकी)

11/03/2026
विष्णु प्रसाद डोभाल
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–32/2026
पंजीकरण तिथि–26.02.2026
निर्णय तिथि–11.03.2026

आशा कनवाल
गायत्री नगर, फेज–1
आर0टी0ओ0 रोड
कुसमुखेड़ा, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 26.02.2026 में कहा गया है कि "I am reporting severe and continuous voltage fluctuations at my residence (Service Connection No: [392E124120297]). The voltage is dropping and spiking dangerously, which is causing overheating in house wiring and threatening to burn out expensive appliances like the refrigerator and AC. There is heavy-duty construction and welding activity on our street using the residential line. This is causing a massive Phase Imbalance and Neutral Shift on the local transformer. The local lineman has acknowledged a "phase fault" but no action has been taken. I request an immediate site inspection by the Junior Engineer (JE) to prevent a Transformer Burnout or a Short Circuit Fire in my premises. Please resolve this as a high-priority safety issue."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर संपर्क किया गया जिससे ज्ञात हुआ की समस्या का समाधान पूर्व में ही हो चुका है। वर्तमान में लाइन में वोल्टेज का फ्लकचुएशन नहीं हो रहा है। उपभोक्ता पूर्णता संतुष्ट है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 06.03.2026 में कहा गया है कि " With reference to my previous complaint regarding severe voltage fluctuations at my

residence I am writing to inform you that the electricity supply has been restored to normal."

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—11.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—11.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 33/2026
पंजीकरण तिथिः–27.02.2026
निर्णय की तिथिः– 10.03.2026

कमलेश पाण्डेय,
गुप्ता कम्पाउण्ड़, तिकोनिया,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर) — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "I would like to inform you that I applied for Permanent Disconnection (PD) of my electricity connection (Connection No. 40117715861) on 6 January 2026 and received a receipt of Rs. 600 for the same (Receipt No. 14464060126WS990096). However, my electricity connection has not yet been disconnected. I have also visited the local electricity department office regarding this issue, but no action has been taken so far.I have attached a copy of the PD receipt for your reference. Therefore, I kindly request you to look into the matter and take the necessary action at the earliest to permanently disconnect my connection. I shall be grateful for your prompt assistance."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 09.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री कमलेश पाण्डेय, गुप्ता कम्पाउन्ड, तिकोनिया, हल्द्वानी का विद्युत संयोजन की पी०डी० सम्बन्धी शिकायत निवारण मंच में संस्थित है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि उपभोक्ता के संयोजन की पी०डी० कर दी गयी है, जिसके अनुसार उपभोक्ता के संयोजन के अन्तर्गत वर्तमान अन्तिम बिल अवशेष रू० (–) 3613.00 । बिल की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

3. परिवादी ने मंच कार्यालय को दिनांक 10.03.2026 को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया कि– विपक्षी/विभाग द्वारा संयोजन की पी0डी0 कर दी गई, जो संयोजन के अनतर्गत वर्तमान अन्तिम बिल रू0(–)3613.00 है, जिससे वह संतुष्ट है।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन कया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की पी0डी0 से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–10.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–10/03/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला– नैनीताल

कोरम :– 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–35/2026
पंजीकरण तिथिः–02.03.2026
निर्णय की तिथिः– 23.03.2026

कुन्दन सिंह
ग्राम–बघेरी(धारी तोक बैना),
पो0ओ0–गरमपानी, ब्लाक–बेतालघाट,
जिला– नैनीताल, परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
हल्द्वानी(ग्रामीण) विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि "I hereby submit a formal complaint regarding my latest electricity bill dated 16 Feb 2026 (Bill No: OU40114151914226, Account No: 40114151914, Account Holder: PAN SINGH), wherein an amount of ₹6003 has been charged. The billed amount is excessively high and disproportionate compared to my regular monthly average of approximately ₹300. I have consistently made timely payments of all previous electricity bills, and there are no outstanding dues against my account. There has been no abnormal increase in electricity consumption nor installation of any additional heavy electrical appliances at my premises that could justify such an inflated bill. Despite this, I am repeatedly receiving payment reminder calls for the said disputed amount. It is neither reasonable nor financially feasible for a common consumer to arrange such a large payment when the billing itself appears erroneous. In view of the above, I formally request the following actions at the earliest: Immediate inspection and technical testing of the installed electricity meter. Verification of the recorded meter reading and billing calculations. Issuance of a revised and corrected bill, if any discrepancy is found. Suspension of any disconnection or penalty proceedings until the matter is

duly investigated and resolved. Kindly treat this matter as urgent. In case the issue is not resolved within a reasonable time frame, I shall be constrained to escalate the matter before the appropriate consumer grievance redressal authority. I look forward to your prompt response and necessary action."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र दिनांकित 23.03.2026 में कहा गया है कि
   - उपखण्ड अधिकरी की आख्या अनुसार मै० वैवफ्यूजन इफोटैक प्रा०लि० के कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया। कि उपभेक्ता के परिसर का गेट प्रायः बन्द रहता है।
   - जिस माह उपभोक्ता के परिसर का गेट बन्द रहता है उस माह उपभोक्ता को शून्य यूनिट के बिल प्रेषित किये गये हैं।
   - जिस माह उपभोक्ता के परिसर का गेट खुला रहता है उस माह ही रिडिंग प्राप्त होती है तथा प्राप्त रिडिंग के आधार पर ही उपभोक्ता को विद्युत बिल प्रेषित किये जाते हैं।
   - माह 03/2026 में उपभोक्ता के मापक से प्राप्त रिडिंग 12141 के अनुसार नया विद्युत बिल बना दिया गया है।
   - माह 02/2025 से औसत खपत व उचित टैरिफ के आधार पर विद्युत बिल को संशोधन कर दिया गया है जो मात्र रु0 5422.00 का बना है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाग द्वारा उपभोक्ता के गेट बंद रहने के कारण रीडिंग प्राप्त न होने तथा परिसर के गेट खुलने पर उपभोक्ता के मापक से प्राप्त रीडिंग के अनुसार बिल बनाए गए। विपक्षी ने परिवादी को टैरिफ स्लैब का लाभ देने के लिए तथा माह 02/2025 से 03/ 2026 तक मासिक औसत खपत के अनुसार उचित टैरिफ के आधार पर बिल संशोधन कर दिया है। परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक खपत का बिल दिये जाने के लिए मीटर को गेट के बाहर किसी ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना उचित होगा जहां पर मीटर रीडर आसानी से रीडिंग ले सकें। मीटर बाहर स्थापित किये जाने हेतु परिवादी अपनी उपलब्धता के अनुसार विपक्षी के कार्यालय में संपर्क करें।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के निराकरण कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–36/2026
पंजीकरण तिथि–06.03.2026
निर्णय तिथि–25.03.2026

ललित मोहन परिवादी
निवासी–हरिनगर
हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 05.03.2026 में कहा गया है कि "**I am writing this letter to you because I am very worried for the last 4 months due to my increasing electricity bill. I'm a tenant of Mr. Lalit Mohan from Hari Nagar, Hanuman Mandir, Kusumkhera, Haldwani (Connection number: 42100936830).The new electricity meter is running very fast while the consumption is absolutely zero. For the last 4 months there is unnecessary electricity consumption while the usage is of only 2 tube lights and one CFL. I also complained to the electricity department and they advised me to get a check meter installed and after the application they have charged a complaint with a fee of Rs. 100, the receipt of which is being attached here. But there is no response from there also. I have not paid the bill for the last 4 months. Please help me. In waiting for a positive response.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 12.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–396E162675385) द्वारा अपनी शिकायत मे बिल के अधिक आने की बात कही गयी है। माननीय फोरम को अवगत कराना है की विद्युत संयोजन वाणिज्यक है तथा रीडिंग के आधार पर सही बना है। उपभोक्ता द्वारा अंतिम विद्युत बिल माह 10/2025 को जमा किया गया था। माह 03/2025 मे (11/2025 से 03/2026 तक का) एक साथ 5 माह का बिल जमा किया गया है, हो सकता है की इस कारण शिकायतकर्ता को बिल अधिक लग रहा हो। दिनांक 10.11.2025 को नया स्मार्ट मापक परिसर में लगाया गया है, जो कि सही रीडिंग दे रहा है। यदि शिकायतकर्ता

को लगता है की मापक अधिक रीडिंग दे रहा है तो वह संबंधित उपखण्ड कार्यालय मे चैक मापक शुल्क जमाकर चैक मापक हेतु आवेदन कर सकते है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 19.03.2026 में कहा गया है कि "This is to draw your attention towards my complaint. I've already paid for the check meter to check my default meter. I'm attaching the payment receipt for your reference. I've a small old meter inside too whose reading and outside meter reading is also been taken by me for last 3 month. I'm attaching the pdf too. The electricity consumption is very low, yet the meter is showing too much readings. Earlier, I have recieved 200 to 300 rs bill in 2024 winters but now it's giving 1500 rs bill in winter season. From last one year, I'm getting expensive bills and I've paid it too. But now I would request you to kindly help me with this unnecessary issue which is creating problem for me.Thank you very much for your support. "
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त पत्र दिनांकित 23.03.2026 में कहा गया है कि "I've got the email to present my case against electricity department regarding the meter disorientation and my request for check meter. As I've mentioned earlier that the owner of the connection (Mr Lalit Mohan) has already paid and requested for the check meter on 12th Jan 2026. Since then I was requesting on and on for the check meter but nothings happening. Still I'm getting increased electricity bills, which eventually I'm paying. I've also noted the submeter reading and the reading of outside meter for the reference. I'm attaching the receipt of the check meter and the comparison of units between submeter and outside new meter for your reference. I'm also apologizing for the inconvenience caused because due to prior commitment and works, I could not attend the court. I just want to ask you to consider this my attendence and request electricity department to attach a check meter so that the truth can be revealed and unnecessary surcharge can be controlled. Because I've been paying too much for the electricity while my consumption is very low. In winters of 2024, I got bill for 200-300 rs only but since there is change in the meter, I'm still getting around 1500 rs bill which is too much compared to my consumption. Please help me with this situation. Thanking you for the kind consideration and perusal."
5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 23.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–396E162675385) द्वारा अपनी शिकायत में बिल के अधिक आने की बात कही गयी है। माननीय फोरम को अवगत करना है की विद्युत संयोजन वाणिज्यक है तथा रीडिंग के आधार पर सही बना है। शिकायतकर्ता के पुराने मापक पर चैक मापक लगा दिया गया है। चैक मापक की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही तत्काल कर माननीय फोरम को सूचित किया जायेगा।
6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी को सुना गया। उत्तर पत्र के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी का विद्युत संयोजन वाणिज्यिक है तथा रीडिंग के आधार पर बिल सही बना है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि शिकायतकर्ता के पुराने मापक पर चैक मापक स्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा चैक मापक लगाने की मांग को पूरा कर दिया गया है। चैक मापक रिपोर्ट आने पर विपक्षी द्वारा परिवादी को मापक की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

7. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर MU में बिल दिए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। परिवादी के आवेदन पर उसके मीटर की शुद्धता जांच के लिए चैक मापक स्थापित कर दिया गया है। चैक मापक हेतु परिवादी ने दिनांक 12.01.2026 को शुल्क जमा कराया है जबकि विपक्षी ने 23.03.2026 को चैक मापक परिवादी के परिसर पर स्थापित किया है। अर्थात 40 दिन के विलम्ब पर चैक मापक स्थापित किया गया। इस प्रकार विपक्षी ने माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नियमों/विनियमों का उल्लंघन कर शुल्क जमा होने के बाद 70 दिन बाद चैक मापक स्थापित किया गया। इस विलम्ब के लिए परिवादी माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के **UERC(Standards of Performance)Regulation, 2022** के अध्याय **SCHEDULE – III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)** के नियम **4 Complaints about meter** के बिन्दु (1) तहत ₹ 50.00 (पचास रूपया मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से ₹ 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र) की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित चैक मापक फाइनल रिपोर्ट में यदि कोई विचलन पाया जाता है तो नियमानुसार समायोजन प्रदान किया जाए। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि चैक मापक स्थापित करने में हुए विलम्ब के लिए परिवादी को ₹ 2000.00 (दो हजार रूपया मात्र) की क्षतिपूर्ति प्रदान करे। क्षतिपूर्ति की राशि परिवादी के आगामी बीजक में समायोजित होगी। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–25/03/2026

25/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

25/03/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–25/03/2026

25/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

25/03/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–37/2026
पंजीकरण तिथि–06.03.2026
निर्णय तिथि–23.03.2026

पवन चन्द्र परिवादी
प्रगति विहार फेस–1
डहरिया, तहसील–हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 06.03.2026 में कहा गया है कि महोदय प्रार्थी प्रगति विहार फेस–1, डहरिया तहसील हल्द्वानी जिला–नैनीताल का निवासी है उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन का नियमित एवं ईमानदार उपभोक्ता है जो कि नियमित अपने विद्युत् बिलों का समय पर भुगतान करता आया है। महोदय प्रार्थी के भवन में दो विद्युत् कनेक्शन लगे है जिनका क्रमांक क्रमशः 392J220713823 जो कि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु लगा है तथा विद्युत् संयोजन संख्या–392J220099588 जो कि आवासीय प्रयोजन के लिए लगा है। महोदय दिनांक 26.02.2026 को विभाग द्वारा प्राथी का कनैक्शन संख्या–396J220713823 जो की व्यावसायिक प्रयोजन हेतु है विभाग द्वारा बिना बताये एवं बिना किसी को सूचित किये मनमाने तरीके से काट दिया गया जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त कनैक्शन संख्या का आज दिन तक का संपूर्ण बिल पूर्व में ही जमा किया है जिसके उपरांत प्रार्थी को कोई भी नया बिल प्राप्त नही हुआ है फिर भी विभाग द्वारा जबरन प्रार्थी का कनैक्शन काट दिया गया जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान और सामाजिक प्रतिष्ठा की गंभीर हानि हुई है। महोदय विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 22.11.2024 को प्रार्थी के दोनों विद्युत् संयोजन बिना किसी पूर्व जानकारी सूचना के काट दिए गये तथा प्रार्थी को इसकी कोई जानकारी नही दी गई तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि विभाग द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के दोनों विद्युत् संयोजन का पूर्व में चालान किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को अधिशासी अभियंता के कार्यालय से दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त हुई तत्पश्चात प्राथी के द्वारा अधिशासी अभियंता महोदय से अनुरोध करने पर प्रार्थी का एक विद्युत् संयोजन जिसका संयोजन संख्या–392J220713823 है को जोड़ दिया गया तथा प्रार्थी से कहा गया कि आप इसका

पहले चालान जमा करे, जिस पर प्रार्थी से मजबूरन उक्त चालान को विभाग द्वारा जमा करवाया गया जबकि उक्त चालान भी विभाग द्वारा गलत किया गया था। महोदय प्रार्थी द्वारा अपने एक विद्युत् संयोजन का विभाग द्वारा किये गये गलत चालानी कार्यवाही तथा मनमाने ढंग से विद्युत् चालान को प्रार्थी द्वारा कनैक्शन जोड़ने के एवज में जमा करवाया गया जो कि अवैध है तथा प्रार्थी के जानकारी के अभाव में प्रार्थी के परिसर में दो विद्युत् संयोजन लगे थे एवं विभाग के कनैक्शन काटे जाने पर जब प्रार्थी कनैक्शन जुडवाने हेतु विभाग गया तो विभागीय अधिकारियो द्वारा बताया गया की एक परिसर में एक ही विद्युत् मीटर होना चाहिए किन्तु सहायक अभियंता द्वारा पुरे परिसर में बिजली का उपयोग करने पर विद्युत् चोरी के केस में फसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे प्रार्थी को पुरे परिसर में विद्युत् मूल्य व्यावसायिक दरो पर भुगतान करना पड़ रहा है। महोदय प्रार्थी द्वारा अपने एक विद्युत् संयोजन की गलत चालानी कार्यवाही का शिकार होकर विभाग के उच्च अधिकारियों से मिला तथा 31.01.2025 को उनके गलत चालानी कार्यवाही एवं अवैध वसूली के विरुद्ध विरोध दर्ज किया तथा विभाग से गलत चालानों के निस्तारण करने का अनुरोध किया गया किन्तु विभाग द्वारा उक्त आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गयी तथा उपभोक्ता को कोई जानकारी ना देकर वसूली की कार्यवाही को निरंतर जारी रखा गया जिसकी प्रार्थी को कभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दी गयी, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त कनैक्शन संख्या के मूल बिल को जमा करने के लिए बार बार लिखित एवं मौखिक रूप से विभाग से कहा गया किन्तु विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गयी तथा प्रार्थी अपने आवास में भी विभाग की गलतियों से व्यावसायिक दरो पर विद्युत् मूल्य चुकता कर रहा है। महोदय प्रार्थी कनैक्शन संख्या 392J220099588 के द्वारा अपने घर पर होमस्टे का संचालन करता है जो की दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, एवं वाणिज्यक श्रेणी में नही आता है, तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा होमस्टे संचालको को व्यावसायिक उपयोग की श्रेणी से छूट भी प्रदान की गयी। महोदय विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2026 को बिना प्रार्थी को बताये प्रार्थी आवास पर लगे कनैक्शन संख्या 392J220713823 को काट दिया गया जबकि प्रार्थी के उक्त कनैक्शन का कोई भी बिल वर्तमान तक अवशेष नही है जिसकी जानकारी प्रार्थी को रात्री में विद्युत् उपयोग करने पर हुई तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा विभाग से संपर्क किया गया जिससे विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कहा गया की कनैक्शन जोड़ने की पावर हमारे हाथ में नही है तथा कनैक्शन किसके आदेश पर काटा गया विभाग को जानकारी नही है और आपसे जो भी कार्यवाही बनती है कर लीजिये। महोदय प्रार्थी को दिनांक 14.01.2025 को कार्यालय अधिसाशी अभियंता विद्युत् वितरण खंड ग्रामीण 33/11 KV उपसंस्थान परिसर कमलवागंजा से निर्गत नोटिस प्राप्त हुआ जिसका प्रतिउत्तर बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

A- नोटिस के पद संख्या 1 में लिखित आरोप गलत है प्रार्थी का कोई गेस्ट हाउस नही है जबकि प्रार्थी के आवास में ही कुछ कमरे होमस्टे में पंजीकृत है जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा व्यावसायिक नही माने जाते।

B- नोटिस के पद संख्या 2 में वर्णित राजस्व का निर्धारण विभाग द्वारा अवैध एवं मनमाने तरीके से किया गया जोकि गलत है

C- पद संख्या 3 में वार्णित कथन गलत एवं झूठे है विमाग द्वारा प्राथी को कभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नही दी गयी।

D- पद संख्या 4 में वर्णित कार्यवाही विभागीय कार्यवाही का हिस्सा है।

E- पद संख्या 5 में वर्णित सेक्शन 3 की कार्यवाही के बारे में प्रार्थी को विभाग द्वारा कोई भी जानकरी लिखित एवं मौखिक रूप से नही दी गयी।

F- पद संख्या 6 में वर्णित सेक्शन 5 की कार्यवाही की जानकारी भी प्रार्थी को विभाग द्वारा नही दी गयी तथा प्रार्थी के द्वारा मौखिक पूछे जाने पर विभाग द्वारा कहा गया की हमारे विभाग से आर. सी. काटी जा चुकी है अब अग्रिम कार्यवाही राजस्व विभाग करेगा जो कि गलत एवं विधि विरुद्ध है तथा विभाग के कर्मचारियों द्वारा जान बूझकर बार–बार प्रार्थी का विद्युत् संयोजन काटा जा रहा है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है की प्राथी के विद्युत् संयोजन संख्या 392J220713823 को अतिशीघ्र जोड़ा जाय, जिससे प्रार्थी को अपने दैनिक कार्यों में परेशानी ना हो एवं प्रार्थी को विभाग के मानसिक उत्पीडन से बचाया जाय।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.03.2026 में कहा गया है उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–392J220099588) द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत संयोजन को विभाग द्वारा मनमाने तरीके से काटे जाने की शिकायत की गई है। वादी द्वारा कथित अधिक बिल की शिकायत नहीं है। इसमें वादी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत राजस्व निर्धारण किया गया है। यह कि वादी द्वारा वाद को माननीय मंच के अधिकार 3.1(4) के अंतर्गत सुनवाई योग्य नहीं है। अतः वाद को खारिज करने का कष्ट करें।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत विपक्षी द्वारा उपभोक्ता पर किए गए राजस्व निर्धारण से संबंधित है। इस मंच को धारा 126 के तहत किए गए निर्धारण के संबंध में सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 126 के अंतर्गत किए गए निर्धारण को धारा 127 के तहत संबंधित सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। अतः उक्त प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में निम्नांकित हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपो शेन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–38/2026
पंजीकरण तिथिः–07.03.2026
निर्णय की तिथिः– 25.03.2026

सुनील कुमार, परिवादी
देवखड़ी,दमुवाढूंगा, हल्द्वानी,
जिला– नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रा मी)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः–सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं सुनील कुमार हन्दाना काठगोदाम नगर निगम के वार्ड–35 के जवाहर ज्योति, देवखड़ी दमुवाढुंगा खाम का स्थायी निवासी हूँ मेरा बिजली का कनेक्शन संख्या 42401139286 है, पूर्व में मेरा कनेक्शन पोल नजदीक न होने के कारण दूर के पोल से किया गया था जिससे मेरे कलेक्शन के तार दूसरे के प्लाट के ऊपर से आ रही थी। उक्त प्लाट पर अभी भवन निर्माण का कार्य चल रहा है जिसके कारण मुझे बिजली की तार शिफ्ट करनी पड़ी है, वर्तमान में अभी बिजली की तारों को लकड़ी के बम्बू के सहारे घर तक लाया गया है जिसके कारण आये दिन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। उपरोक्त समस्या से सम्बन्धित मैं कई बार मौखिक व लिखित रूप से सम्बन्धित विभाग को अवगत करा चुका हूँ इस समस्या से सम्बन्धित मैं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण हल्द्वानी को 02/02/2026 और 19/02/2026 को पत्र लिखकर समस्या से अवगत करा चुका हूँ अभी तक समस्या से संबंन्धित विभाग का कोई भी अधिकारी न तो मौके पर आया है और न ही समस्या का समाधान का आश्वाश्न दिया है। मेरे घर से नजदीकी पोल की दूरी लगभग 150 मीटर है बीच में एक (1) खाली पोल भी लगा हुआ है तथा पोल से मेरे घर तक बिजली का कनेक्शन शिफ्ट करने के लि एक (1) पोल की आवश्यकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का अतिशीघ्र समाधान किया जाय।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 23.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन बहुत पुराना है। वर्तमान में परिसर के पास कोई पोल स्थापित नहीं है जिस पर यह विद्युत संयोजन को शिफ्ट किया जा सक। जिसके लिए एक पोल के एस्टीमेट का गठन कर दिया गया है तथा जमामद में कार्य का प्राकलन बनाकर शिकायतकर्ता को प्रेषित कर दिया गया है। उपभोक्ता से पोल के एस्टीमेट की धनराशि को जमा करने की मांग की गयी है। धनराशि के जमा होते ही पोल को स्थापित कर विधुत संयोजन को शिफ्ट कर दिया जायेगा।

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण विद्युत लाईन निर्माण से संबंधित है। विपक्षी का कहना है कि परिवादी की मांग पर विपक्षी द्वारा कार्य से संबंधित मांग पत्र तैयार किया गया है जिसके भुगतान के बाद ही कार्य करना संभव है। लाईन निर्माण के संबंध में इस मंच को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–25.03.2026

25/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

25/03/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–25.03.2026

25/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

25/03/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:39/2026

Shri/Smt. आशुतोश पाठक **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(T)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	09.03.2026	आज यह परिवाद प्राप्त हुआ। आदेशित हुआ कि, अवलोकित। दर्ज रजिस्टर हों। विपक्षी / विभाग को दिनांक 16.03.2026 को उत्तर पत्र हेतु नोटिस जारी हों।	16.03.2056
	16.03.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रतिलिपि वादी को भेजी जाये। वादी दिनांक- 23.03.2026 तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें।	23.03.26
	23/03/26	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। विपक्षी द्वारा पूर्व तिथि 16/03/2026 में आख्या प्रस्तुत कर कहा गया था कि उपभोक्ता के सोलर मापक प्लांट की क्षमता की सीलिंग प्रमाण पत्र RAPDRP सिस्टम में अपडेट कर उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अब नये मापक के आधार पर आगामी महीनों के बिल जारी होंगे। प्रमाण स्वरूप बिल हिस्ट्री की प्रति भी संलग्न की गयी है जिसमें सीलिंग अपडेट होना स्पष्ट दर्शित है। परिवादी ने मंच कार्यालय को दूरभाष पर बताया कि वह विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के समाधान एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता) तिलक राज भाटिया (सदस्य तकनीकी) विष्णु प्रसाद डोभाल (सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–42/2026
पंजीकरण तिथिः–13.03.2026
निर्णय की तिथिः– 23.03.2026

राकेश चन्द्र कपिल
पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त कपिल,
ग्राम–चापड, पो0–मौना, रामगढ़,
जिला–नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– विकासखण्ड – रामगढ़ के मौना–चापड बाजार में, माह–मई (2025) में, एक छापेमारी, विद्युत विभाग/विजिलेंस टीम द्वारा की गई, जिसमें विद्युत दुरुपयोग के लिए हम पर भारी जुर्माना लगाया गया। इसके विरुद्ध मैने Executive Engineer Mr- Sehgal से मिलकर स्थिति स्पष्ट करनी चाही कि हमारे पास व्यवसायिक संयोजन पृथक से है तथा पुर्नजाँच की कृपा करें, किन्तु Ex, en, महोदय ने ना केवल बात गम्भीरता से सुनी अपितु मुझे धमकाया कि पुर्नजाँच से जुर्माना बढा दिया जाएगा तथा जुर्माना जमा करने में घरेलू बिजली भी व्यवसायिक दरों पर दी। अब जबकि जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप से वैधानिक प्रक्रिया से मुझ पर लगाया जुर्माना समाप्त कर दिया गया है किन्तु उक्त नौ माह का समय हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन् रहा, विशेषकर ex, en महोदय का तानाशाही रवैया, जिसके लिए निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्षतिपूर्ति तथा सम्बन्धितों पर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही आवश्यक है।
    - हमारे घरेलू संयोजन को बिना अनुमति/जानकारी के व्यवसायिक श्रेणी में बदलकर अनावश्यक तथा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति– रू. 20,000
    - मानसिक उत्पीडन तथा विभागीय धमकी–रू. 50,000
    - उक्त नौ माह तक विभिन्न कार्यालयों के चक्कर –रू. 50,000
      (यात्रा, समय की हानि, आजीविका प्रभावित होने)

- सामाजिक तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने–रू. 50,000
  (सामाजिक कार्य तथा राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य)
- भेदभाव पूर्व व्यवहार, जिसके अन्तर्गत विभिन्न जुर्मानों में।
  से केवल एक व्यक्ति जो विद्युत चोरी करते पकड़ा गया, की–चालानी राशि 85 प्रतिशत लगभग कम करने 50,000 (कुल 2,20,000 रूपये)

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मुझे उक्त क्षतिपूर्ति लिखित माफीनामा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही (संबंधित अधिकारी) करने हेतु विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र दिनांकित 23.03.2026 में कहा गया है कि वाद संख्या 42/2026 सम्भवतः विद्युत अधिनियम की धारा 126 का है जिसमें खण्ड कार्यालय ज्ञाप संख्या 115 दि0 20.01. 2026 के माध्यम से उपभोक्ता श्री लक्ष्मी दत्त पुत्र श्री रेवाधर मौना, रामगढ का जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर अंतिम राजस्व निर्धारण रु0 38194.00 को समाप्त करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं। मा० मंच के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत किये गये निर्धारण को जिला अधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के बाद परिवादी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए मंच में शिकायत दायर की गई है। उक्त धारा के अंतर्गत किए गये राजस्व निर्धारण के विरुद्ध इस मंच को सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में इस प्रकार के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का उपभोक्ता मंच को अधिकार प्रदान किया गया है। अतः प्रकरण इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले मंच में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक–23.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–43/2026
पंजीकरण तिथिः–16.03.2026
निर्णय की तिथिः– 25.03.2026

ईश्वर नेगी, परिवादी
सत्य लोक कॉलोनी
डहरिया, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– I am writing to formally raise and escalate serious electricity supply issues affecting my household and the entire locality.

In December 2025, our area experienced a major technical fault in the power supply system where two phases reportedly got mixed due to negligence in maintenance. As a result, several households in the locality suffered damage to electrical appliances such as televisions, refrigerators, computers, water purifiers, and other devices. Unfortunately, no proper inspection or survey was conducted by UPCL officials after the incident, and affected residents have not received any compensation or official response.

Currently, we continue to face severe power supply issues:

1. Extremely low voltage and frequent fluctuations in our area. Because of this, basic appliances such as fans and coolers are not functioning properly.
2. During summer months, especially in June and July, the voltage drops significantly, making it difficult for residents to use essential appliances. Running devices like air conditioners becomes risky as they may get damaged due to unstable voltage supply.
3. Several complaints have already been raised earlier, but we have not received any satisfactory action or permanent resolution from UPCL.

Considering the seriousness of the situation, we request the following actions:

1. Installation of a new transformer in our area or appropriate upgrading of the existing infrastructure to ensure proper voltage supply.
2. A technical inspection and survey in the locality to assess the issue and collect feedback from residents who are facing continuous power supply problems.

Reliable electricity supply is a basic necessity, and the current situation is causing significant inconvenience and financial loss to residents.

I sincerely request the concerned department to look into this matter urgently and take necessary corrective measures at the earliest. Thank you for your attention.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री ईश्वर नेगी, सत्य लोक कॉलोनी, डहरिया, हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा वोल्टेज के सम्बन्ध में की गयी शिकायती प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में आपको सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री नेगी के परिसर का निरीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा दिनाँक 23.03.2026 को किया गया उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक में वोल्टेज 230 वोल्ट पायी गयी, जिसकी फोटो संदर्भ हेतु संलग्न है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने वोल्टेज उतार–चढ़ाव के संबंध में शिकायत की है। विपक्षी ने परिवादी के परिसर पर वोल्टेज नापी तो 230 वोल्ट पाई गई। जो कि मानकों के अनुसार है। जहां तक पूर्व में वोल्टेज उतार–चढ़ाव के कारण विद्युत उपकरणों को हुए नुकसान की बात है तो परिवादी ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हैं जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि उक्त संबंध में कहीं कोई शिकायत की गई थी या क्षर्तिपूर्ति के लिए आवेदन किया गया हो। परिवादी के परिसर पर वोल्टेज मानकों के अनुरूप पाये जाने पर परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–25.03.2026

25/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

25/03/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–25.03.2026

25/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

26/03/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–105 / 2025(प्रकीर्ण)
पंजीकरण तिथिः–10.03.2026
निर्णय की तिथिः– 24.03.2026

रमा देवी, परिवादी
कलावती कॉलोनी,
नवाबी रोड़ हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

राम कुंवर सिंह, तृतीय पक्ष
बी 65, वरनन कॉटेज,
तल्लीताल, नैनीताल,

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण इस मंच में दायर वाद संख्या 105 / 2025 में पारित आदेश दिनांकित 19.08.2025 के विरुद्ध माननीय लोकपाल (विद्युत) द्वारा **Representation No. 37/2025** में दिनांक 11.02.2026 को निम्न आदेश पारित किया गया। **"The case is remanded back to the Forum for re-examination and passing orders on merit after hearing all parties including the petitioner, Shri Ram Kunwar Singh. Petition is disposed off."** उपरोक्त आदेश के क्रम में राम कुंवर सिंह द्वारा दिनांक 10.03.2026 को एक प्रार्थना पत्र इस मंच में प्रस्तुत किया। उनके प्रार्थना पत्र एवं माननीय लोकपाल के आदेश पर राम कुंवर सिंह को तृतीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाकर वाद संख्या–105 / 2025 (प्रकीर्ण) दर्ज किया गया।

1. राम कुवंर सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में निम्न उल्लेख किया हैः—

1) यह कि प्रार्थी रामकुवर सिंह पुत्र स्व० केदारनाथ सिंह, 65—बी वरनन कटेज, देहरादून/ नैनीताल का निवासी है। प्रार्थी की निजी भूमि पाण्डेगांव, भीमताल जनपद नैनीताल में स्थित है। मेरी इस भूमि में विद्युत विभाग द्वारा श्रीमती रमा अधिकारी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह अधिकारी एवं श्री मुकेश चन्द्र भट्ट पुत्र आर०सी० भट्ट को दो विद्युत संयोजन दे दिया गया था जिसकी संयोजन संख्या—592 बीएन 22721090 एवं 592 बीएन 2278256 है।

2) यह कि मेरे द्वारा विद्युत उपखण्ड अधिकारी भीमताल को अपनी भूमि से सम्बन्धित सारे पेपर दिये गयेऔर विद्युत संयोजन हटाने की बात कही गयी। उनके द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद विद्युत संयोजन अस्थाई तौर पर हटा दिया गया है। मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि श्रीमती रमा अधिकारी एक वाद संख्या 105 सन 2025 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 नैनीताल को बनाया गया है। जिस भूमि पर विद्युत संयोजन दिया गया है वह भूमि निर्विवाद एवं स्पष्ट रूप से रामकुवर सिंह के नाम है। उस जमीन को किसी भी व्यक्ति को ना तो किराये पर और ना ही लीज पर दिया गया है एवं ना ही इस भूमि पर कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अवैधानिक रूप से श्रीमती रमा अधिकारी और श्री मुकेश चन्द्र भट्ट द्वारा गलत प्रपत्र दिखाकर और अधिकारी को गुमराह करके विद्युत संयोजन हासिल किया गया है।

3) यह कि प्रार्थी द्वारा विद्युत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष शिकायत इस सम्बन्ध में दर्ज की गई कि प्रार्थी की जमीन पर अवैधानिक रूप से प्रार्थी की जानकारी के बगैर विद्युत संयोजन हासिल किया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रपत्र विद्युत उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये गये। अधिकारियों द्वारा प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रपत्र के आधार पर जांच पड़ताल की गयी और उसके बाद गलत ढंग से विद्युत संयोजन हासिल करने के कारण, विद्युत संयोजन अस्थाई रूप से समाप्त कर दिया गया।

4) यह किविद्युत संयोजन अस्थाई रूप से समाप्त करने के आदेश के खिलाफ रमा अधिकारी ने माननीय निवारण मंच के समक्ष वाद संख्या 105 सन 2025 दाखिल किया गया जिसमें प्रार्थी, शिकायतकर्ताएवं जमीन का मालिक है, उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया, और एकपक्षीय रूप से आदेश हासिल किया गया। इस तरह प्रार्थी के हित के खिलाफ प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना विद्युत संयोजन बहाल किये जाने हेतु आदेश दिनांक 19.08.2025 को पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

5) यह कि श्रीमती रमा अधिकारी, श्रीमती गोविन्दी देवी, एवं चन्दन मेहता के नाम ग्रामीण अंचल की भूमि जो रोड से 210 मी० की दूरी पर स्थित है, की रजिस्ट्री करायी गयी है। और विद्युत संयोजन नगर पालिका क्षेत्र भीमताल में स्थित प्रार्थी रामकुवर सिंह की भूमि पर दिया गया है। यह सब उपक्रम प्रार्थी की भूमि पर अवैधानिक कब्जा करने की नियत से किया गया है।

6) यह किप्रार्थी की निजी भूमि पर जो विद्युत कनेक्शन दिया गया है उस जगह पर कोईपरिवार नहींरहता है। जमीन कब्जाने हेतु अस्थायी टिन शेड में विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन दिया गया है जो गलत है।

7) मेरी इस निजी भूमि में अन्य किसी भी व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 12.12.2024 को आदेश पारित किया गया है कि इस भूमि में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता और किसी भी न्यायालय में इस भूमि से सम्बन्धित वाद नहीं चल रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की निजी जमीन पर जारी एक तरफा आदेश को प्रार्थी का पक्ष का सुनकर, विद्युत संयोजन की बहाली हेतु को दिनांक 19.08.2025 को वापस लेकर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. दिनांक 10.03.2026 को ही सभी पक्षों को दिनांक 12.03.2026 को मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित होने संबंधी नोटिस जारी किये गये।

3. दिनांक 12.03.2025 को सभी पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। राम कुंवर सिंह स्वयं उपस्थित हुए। रमा देवी की ओर से उनके प्रतिनिधि चंदन सिंह मेहता उपस्थित रहे जबकि विपक्षी/विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी (भीमताल) काजल रैकुनी उपस्थित। पक्षकारों के तर्क सुने गये। राम कुंवर सिंह ने जैसा अपने प्रार्थना पत्र में विस्तृत उल्लेख किया है उसी के अनुसार यह बात दोहाराई कि जिस भूमि पर रमा देवी को संयोजन दिया गया है, वह उनकी निजी भूमि है। इस संयोजन को विच्छेदित कराने के आदेश पारित करने हेतु मंच से प्रार्थना की गई है। इसी तरह रमा देवी के प्रतिनिधि का कहना है कि वह पूर्व में वाद संख्या 105/2025 में अपनी बात विस्तार से रख चुके हैं तथा इसी पर कायम हैं। विपक्षी की ओर से उपखंड अधिकारी द्वारा बताया गया कि दो पक्षों के भूमि विवाद पर यू0पी0सी0एल0 को कुछ नहीं कहना है। रमा देवी को विनियमों के तहत ही संयोजन दिया गया है, जिसे वर्तमान विनियमों के तहत ही विच्छेदित किया जा सकता हैं। राम कुंवर सिंह ने राजस्व विभाग या सक्षम अधिकारी/न्यायालय का ऐसा कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जिस भूमि पर रमा देवी के नाम से संयोजन लगा है वह भूमि राम कुंवर सिंह के नाम पर है।

4. मंच द्वारा सभी पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत शिकायत में राम कुंवर सिंह द्वारा रमा देवी के नाम पर अवमुक्त संयोजन को विच्छेदित किए जाने की मांग की गई है। माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में इस मंच को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे किसी तृतीय पक्ष के आवेदन पर किसी उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करने का आदेश पारित किया जा सके। अर्थात किसी उपभोक्ता के संयोजन को विच्छेदित करने का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस मंच का नहीं है। मंच के मत में विपक्षी/विभाग प्रचलित विनियमों के तहत कार्रवाई किये जाने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

राम कुंवर सिंह द्वारा प्रस्तुत शिकायत खारिज की जाती है। सभी पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत

औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—24.03.2026

24/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

24/3/26
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—24.03.2026

24/03/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

24/03/26
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202602200001
पंजीकरण तिथि–20.02.2026
निर्णय तिथि– 11.03.2026

सुरेश चन्द्र जोशी परिवादी
आंवलाकोट
कोटाबाग, रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र (ऑनलाइन पोर्टल) में कहा गया है कि मेरा बिजली कनेक्शन (संख्या–40115036620) सुरेश चंद्र जोशी के नाम पर पंजीकृत है। आपको अवगत कराना है कि मेरा बिजली मीटर दिनांक 18 जनवरी 2026 को जल गया था, जिसकी सूचना मैंने तत्काल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई थी। इसके पश्चात, दिनांक 21 जनवरी 2026 को मैंने रामनगर एक्सचेंज में लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की थी। अत्यंत खेद का विषय है कि लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से न तो कोई संपर्क किया गया है और न ही मीटर बदला गया है। मीटर बंद होने के कारण बिलिंग और विद्युत आपूर्ति की निगरानी में समस्या आ रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जनहित और विभाग के नियमों को ध्यान में रखते हुए, जल्द से जल्द नया मीटर लगवाने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 26.02.2026 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन पर सोलर प्लान्ट स्थापित है, जिसमें 2 मापक संयोजित हैं। जिसमें से एक मापक खराब पाया गया जिसे दिनांक 25.02.2026 को स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया है (मीटर सिलिंग प्रमाण–पत्र संलग्न)। माननीय फोरम को यह भी अवगत कराना है कि संयोजन पर स्थापित दूसरे मापक की रीडिंग के अनुसार उपभोक्ता की बिलिंग की जा रही है। उपभोक्ता की बिलिंग नियमानुसार ही की जा रही हैं उपभोक्ता के लेजर की प्रति संलग्न की जा रही है।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 06.03.2026 में कहा गया है कि "I would like to sincerely thank you for resolving my complaint in a timely and effective manner. Your team not only understood the issue clearly but also addressed it promptly, setting a great example of customer satisfaction. I truly appreciate your professional approach, cooperative attitude, and transparency throughout the process. This experience has strengthened my trust that your organization takes customer concerns seriously and provides the best possible solutions. I hope your services continue to remain excellent in the future as well."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 11.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 11.03.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202602210001
पंजीकरण तिथि–21.02.2026
निर्णय तिथि–11.03.2026

विपिन कुमार
मालधन चौड़ नं0–06
रामनगर
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि " My Bill Bhut jyada aa rha."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 28.02.2026 में कहा गया है कि वाद संख्या–04202602210001 के अनुसार शिकायतकर्त्ता के विद्युत खाता संख्या–425000435431 के विद्युत बिलों को संशोधित कर –606.00 कर दिया गया है। (लेजर की छाया प्रति संलग्न)। महोदय को यह अवगत कराना है कि यदि उपभोक्ता द्वारा मापक की जॉच हेतु आवेदन किया जाता है तो नियमानुसार मापक पर चैक मापक स्थापित किया जायेगा।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 28.02.2026 में कहा गया है कि "I am satisfied."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—11 / 03 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—11 / 03 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603040001
पंजीकरण तिथि–05.03.2026
निर्णय तिथि–23.03.2026

कमला देवी
ग्राम–काण्डा
पो0ओ0–झूतिया
रामगढ़
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1- परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "I, Kamla Devi, wife of Late Kishana Nand, am a consumer of UPCL with the following account details: Electricity Account Number: 40113291364 and Service Connection Number: 591 RT23064669. I am writing to request urgent correction of my name in the UPCL records. Currently, my name is incorrectly recorded as "Kalmla Devi W/O Kishan Nand" due to a typographical error. The correct name should be "Kamla Devi W/O Late Kishana Nand". This discrepancy is causing inconvenience in account management and bill payments. I have attached a copy of my Aadhaar card as proof of the correct name and details for your reference and verification. Kindly process this correction on priority and update the records at the earliest. Please confirm the update via SMS/email or on my next bill statement. I can be reached at 9758431487 or 8533967962 for any further information.."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 12.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की नाम परिवर्तन से सम्बन्धित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता का सही नाम उपभोक्ता के आगामी माह के विद्युत बिल में प्रदर्शित होगा।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 30.01.2026 में कहा गया है कि " **Thank you for your mail. As told the details are corrected by you so I am satisfied with the resolution. As the new bill not generated so I am unable to verify the current details. I will update after verification when new bill will be generated.**"
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23/03/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–23/03/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)